न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/182

रामनिवास उम्र 60 वर्ष पुत्र हजारी लाल जाति गुर्जर निवासी उदयभानपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. गिर्राज पुत्र हरिसेनपुरी ।
2. कन्हैया लाल पुत्र हरिसेनपुरी ।
3. अनिवास पुत्र हरिसेनपुरी ।
4. जानकीलाल पुत्र हरिसेनपुरी समस्त जातियान गोसाई निवासीगण उदयभानपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री संजय शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 से 4 की ओर से

निर्णय दिनांकः 16.12.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय 25.03.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 4 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम उदयभानपुरा खाता संख्या 02 में खसरा नम्बर 107 की रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 108 की रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 110 रकबा 2.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 113 रकबा 1.66 हैक्टर कुल किता 04 की रकबा 4.48 हैक्टर भूमि स्थित है ।

उक्त भूमि पर आने–जाने के लिए कोई सरकारी रास्ता उपलब्ध नहीं है । प्रार्थीगण को अपनी उक्त भूमि पर सरकारी रास्ते के अभाव में अपनी कृषि भूमि को काश्त करने में काफी कठिनाई पैदा होती है । प्रार्थीगण के खेतों पर आने–जाने के लिए प्रतिवादी के खाते की आराजी में खसरा नम्बर 162 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 112/726 की रकबा 2.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 158/714 की रकबा 2.16 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थीगण के खेत के लगवा स्थित है जिस पर से होकर प्रार्थीगण के आने–जाने के लिए सरकारी रास्ता कायम किया जा सकता है । प्रार्थीगण ने अपने उक्त खेतों में आने–जाने के लिस रास्ता बनाने के लिए उपखण्ड अधिकारी इटावा व तहसीलदार पीपल्दा को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर राजस्व विभाग द्वारा प्रार्थीगण के खेतों पर आने–जाने के लिए व रासता बनाने के लिए दिनांक 02.09.2021 को मौका देख गया मौका देखकर ग्राम उदयभानपुरा की प्रतिवादी के खाते की आराजी सिवायचक खसरा नम्बर 162 रकबा 1.10 हैक्टर बंजड व खसरा नम्बर 158/714 रकबा 2.16 हैक्टर नहरी द्वितीय में से सरकारी रास्ता कायम किये जाने की अनुसंशा की लेकिन इसके बावजूद तहसीलदार पीपल्दा द्वारा यह कहते हुए राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने से मना कर दिया कि यह कार्य मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में इस आशय का आदेश पारित किया जावे कि सरकारी सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 162 रकबा 1.10 हैक्टर व खसरा नम्बर 158/714 रकबा 2.16 हैक्टर भूमि में से 20 फुट रास्ता नया मार्ग कायम कर उसे रास्ते के रूप में मौका रिपोर्ट दिनांक 02.09.2021 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25.03.2022 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम उदयभानपुरा के खसरा नम्बर 162 व खसरा नम्बर 158/714 में से मेड पर होते हुए खसरा नम्बर 162 रकबा 1.10 हैक्टर किसम बंज डमें 132 मीट लम्बा व 4 मीटर चोडा कुल 0.0256 हैक्टर उक्त दोनों खसरा नम्बर से चाहे जा रहे रास्ते हेतु कुल 0.0784 हैक्टर भूमि में रास्ता कायम किये जाने के आदेश पारित किये ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के पास एक नहीं बल्पिक 2–3 वैकल्पिक रास्ते अपने खेत पर पहुंचने के लिए उपलब्ध हैं । गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2022 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 158/714 से रास्ता निकालने का आदेश किया है तथा उक्त खसरा नम्बर के समीप प्रार्थी का खसरा नम्बर 112 स्थित है तथा उक्त खसरा नम्बर की कमी रकबा पूर्व दिशा की तरफ खसरा नम्बर 158/714 में सम्मिलित है जो वर्तमान समय में सिवायचक था इसलिए प्रार्थी को उक्त आराजी में काश्त करने में परेशानी नहीं आ रही थी

किन्तु अब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रार्थी की मेड से लगते हुए रास्ता दर्ज हो जाएगा तो प्रार्थी की कमी रकबा भविष्य में पूरी नहीं हो सकती जिससे प्रार्थी के हित प्रभावित होंगे । अतः धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । प्रार्थी को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.07.2022 को हुई जिन पर दिनांक 26.07.2022 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में सर्वप्रथम धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.03.2022 से अपीलान्ट के हित प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 158/714 से रास्ता निकालने का आदेश किया है तथा उक्त खसरा नम्बर के समीप प्रार्थी का खसरा नम्बर 112 स्थित है तथा उक्त खसरा नम्बर की कमी रकबा पूर्व दिशा की तरफ खसरा नम्बर 158/714 में सम्मिलित है जो वर्तमान समय में सिवायचक था इसलिए प्रार्थी को उक्त आराजी में काश्त करने में परेशानी नहीं आ रही थी किन्तु अब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रार्थी की मेड से लगते हुए रास्ता दर्ज हो जाएगा तो प्रार्थी की कमी रकबा भविष्य में पूरी नहीं हो सकती । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर न तो अपीलान्ट के और न ही रेस्पोडेन्ट के हस्ताक्षर हैं । मौका रिपोर्ट मौके पर जाकर नहीं बनायी गई है । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी स्वीकार किया जावे किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2022 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । परीक्षण न्यायालय ने से मौका रिपोर्ट प्राप्त की थी । मौका रिपोर्ट के आधार पर सिवायचक आराजी खसरा नम्बर नम्बर 162 रकबा 1.10 हैक्टर बंजड व खसरा नम्बर 158/714 रकबा 2.16 में से 0.0784 हैक्टर भूमि पर रास्ता कायम करने एवं राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि को रास्ते के रूप में कायम करने के आदेश पारित किये हैं जो विधि सम्मत हैं । अपीलान्ट ने स्वयं अपील के चरण संख्या 04 में स्वयं ने ही दिये गये रास्ते को सही माना है । अपीलान्ट की धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र ही स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि जहाँ से रास्ता दिया गया है वहाँ अपीलान्ट का न तो काई हक व स्वत्व है तथा न ही अपीलान्ट इस निर्णय से

प्रभावित हैं । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी व अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 25.03.2022 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2021 (2) पेज 853 उद्धृत किया ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने खाते की आराजी पर पहुंचने हेतु रास्ता कायम करने का कथन किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर सिवायचक आराजी खसरा नम्बर नम्बर 162 रकबा 1.10 हैक्टर बंजड व खसरा नम्बर 158/714 रकबा 2.16 में से 0.0784 हैक्टर भूमि पर रास्ता कायम करने एवं उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये । प्रार्थी अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी में अपने हित–निहित होने का कथन करते हुए धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश की है । हम विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा इस कथन से सहमत नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जिस भूमि में होकर रास्ता कायम किया है उसमें अपीलान्ट के हित निहित है । अधीनस्थ न्यायालय ने जिस भूमि में होकर रास्ता कायम किया है वह सरकारी सिवायचक भूमि है जिससे अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई हित–निहित नहीं है । प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार पीपल्दा ने उपखण्ड अधिकारी इटावा को प्रेषित पत्र दिनांक 18.01.2022 में स्वयं मुताबिक संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता दिये जाने की सहमति दी है । तहसीलदार द्वारा लैण्ड होल्डर की हैसियत से प्रकरण में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की । रास्ता सिवायचक सार्वजनिक रूप से दर्ज होने के आदेश हैं जो सार्वजनिक रूप से काम में आएगा । उपर्युक्त स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं है । चूँकि धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना स्वीकार योग्य नहीं है ऐसी स्थिति में धारा 05 मियाद अधिनियम विचार योग्य नहीं है ।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं है । ऐसी स्थिति में धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी स्वीकार योग्य नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.03.2022 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 16.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा